"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2009—आषाढ़ 24, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन्स, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक 29/सी.एस.ई.आर.सी./2009.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) सहपठित 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 5) नामक विनियम दिनांक 16.02.2005 को अधिसूचित किया था। अपने अनुभवों, सजग पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के कारण भी, युक्तियुक्त शुल्क एवं प्रभारों का अधिरोपण सुनिश्चित करने, हेतु इन विनियमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। अतः आयोग ने अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कर शुल्क एवं प्रभारों के अधिरोपण हेतु निम्नलिखित नये विनियमों का निर्माण किया है। ये विनियम, इस विषय पर दिनांक 16.02.2005 को अधिसूचित पूर्ववर्ती विनियमों को अतिस्थापित करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

(1) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(4) ये विनियम, आयोग के समक्ष प्रस्तुत समस्त आवेदनों एवं याचिकाओं सहित विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मामलों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब, तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(1) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36)

(2) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

(3) **"शुल्क एवं प्रभार "** से अभिप्रेत है, अनुसूची 1 एवं 2 में दर्शित शुल्क एवं प्रभार।

(2) शब्दों व अभिव्यक्तियों, जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम और/या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में है।

3. याचिका/आवेदन पर शुल्क

(1) आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक याचिका/आवेदन को इस विनियम की अनुसूची 1 और/अथवा 2 में उल्लेखित शुल्क या प्रभार के साथ देना होगा।

(2) इस विनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क या प्रभार का भुगतान रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर या एकाउंटपेयी चैक के द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग** को करना होगा अथवा रूपये पांच हजार से अधिक राशि न होने की दशा में भुगतान नगद या किसी अन्य पद्धति से, जो छत्तीसगढ़ के राज्य शासन द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों में विहित हो और ये नियम आयोग को भी लागू होते हों, भी किया जा सकता है.

(3) पटाये गये शुल्क एवं प्रभारों का उल्लेख, अधिनियम या उस विनियम की धारा सहित, जिसके अधीन भुगतान किया गया हो, याचिका अथवा आवेदन, जो भी हो, उसमें किया जावेगा।

(4) आयोग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, या तो स्वप्रेरणा से या प्रकरण के किसी पक्षकार द्वारा उठाई गई आपत्ति पर जमा किये गये शुल्क की पर्याप्तता संबंधी विषय पर विचार कर सकेगा और समुचित आदेश दे सकेगा।

4. आयोग, यदि उचित समझे तो, अनुसूची –1 में विहित शुल्क जमा करने हेतु, किसी पक्ष के लिखित निवेदन पर उसे समय प्रदान कर सकेगा।

5. संग्रहीत शुल्क वापस करने की शक्ति

आयोग, किसी मामले विशेष में, यदि वह मामला वापस ले लिया जाता है, किसी पक्ष द्वारा जमा किये गये शुल्क को पूर्णतः या भागतः वापस करने का निर्णय ले सकेगा।

6. किसी विशेषज्ञ या सलाहकार की सेवा हेतु शुल्क

यदि आयोग अपने समक्ष विचाराधीन किन्ही कार्यवाहियों में, मामले के यथोचित निराकरण हेतु किसी विशेषज्ञ या सलाहकार की सेवायें लिये जाने का निर्देश दे, तो वह ऐसी सेवाओं के खर्च को उन कार्यवाहियों के पक्षकार/पक्षकारों से वसूल करने का आदेश दे सकेगा।

7. दण्ड/शास्ति वसूली की प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 142 एवं धारा 146 के तहत आयोग द्वारा या अधिनियम की धारा 143 या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 27 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेशित दण्ड आयोग के आदेश या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तिथि से 30 दिन, या आयोग अथवा न्यायनिर्णय अधिकारी, जैसा भी हो, द्वारा बढ़ाई गई समयावधि, के भीतर भुगतान करना होगा।

(2) दण्ड/शास्ति की राशि का भुगतान इस विनियम की धारा 3(2) के अनुसार ही देय होगा।

(3) यदि दण्ड/शास्ति निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं पटाया जाता, तो आयोग अधिनियम की धारा 170 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

8. अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर देय शुल्क

(1) अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त प्रत्येक नई अनुज्ञप्ति पर इस विनियम की अनुसूची 1 के अनुसार शुल्क देय होगा।

(2) सभी वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक करना होगा।

(3) वार्षिक शुल्क की, देरी से भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

(4) यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसे विलंब हेतु समुचित कारण थे, तो वह ब्याज से अभिमुक्ति दे सकेगा।

9. टैरिफ (विद्युत दर) में समावेश

इस विनियम के अनुसार जमा किये गये शुल्क या प्रभार की राशि को, अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ निर्धारण खर्च के रूप में लेखा में समाहित कर सकेगा।

परन्तु यह कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाये गये दण्ड/शास्ति और उपरोक्त विनियम 8 (3) के अनुरूप पटाये गये ब्याज की राशि, को टैरिफ निर्धारण में खर्च के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन या सुधार कर सकेगा।

11. कठिनाई दूर करने की शक्तियां

यदि इस विनियम के किन्ही उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समाचीन हो और अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, अनुज्ञप्तिधारी को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दे सकेगा।

टीपः— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

अनुसूची–1
अधिनियम के अधीन आवेदन/याचिका हेतु शुल्क और प्रभार

क्र.	वर्णन	शुल्क/प्रभार
1	अधिनियम की धारा 9(2) के द्वितीय परंतुक के अनुसार पारेषण उपलब्धता के संबंध में न्याय निर्णयन हेतु शुल्क, जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, जिसने ऐसे विवाद को आयोग में प्रस्तुत किया हो।	रू.10,000 चाही गई प्रथम एक मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए एवं रू.2000 प्रति अतिरिक्त मेगावाट क्षमता के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा रू.1,00,000 होगा।
2	अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से छूट लेने वाले अनुज्ञप्तिधारी/माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय वार्षिक शुल्क	रू. 5,000
3	अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर शुल्क	जैसा राज्य शासन द्वारा विहित दिया जावे
4	अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क – (ए) विद्युत पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (बी) विद्युत वितरण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (सी) विद्युत व्यापार करने के लिए विद्युत व्यापारी के रूप में	 (ए) रू. 2,00,000 (बी) रू. 5,00,000 (सी) रू. 5,00,000
5	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (वर्ष 2010–11 से प्रवर्तनीय) :– (ए) पारेषण अनुज्ञप्ति (बी) वितरण अनुज्ञप्ति (सी) व्यापार अनुज्ञप्ति नोटः (i) वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क वित्तीय वर्ष के शुरू में ही अग्रिम रूप में देय होगा। (ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना, उसके आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित/आंकलित कुल पारेषण क्षमता के अनुबंध के अनुसार होगी। (iii) वितरण अनुज्ञप्ति के लिए, उसके वितरण व्यवसाय के भाग के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित/आंकलित विद्युत विक्री के राजस्व के आधार पर, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना की जायेगी। (iv) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना आंकलित वार्षिक राजस्व (कुल क्रय विक्रय) आधार पर की जावेगी।	(ए) वर्ष अथवा उसके अंश के लिए प्रभावशील पारेषण क्षमता के प्रचलित अनुबंध पर रू.1,000 प्रति मेगावाट परन्तु न्यूनतम रू.1,00,000 एवं अधिकतम रू.10,00,000 (बी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.04 प्रतिशत। (सी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.04 प्रतिशत।

	(v) वास्तविक अनुबंधित पारेषण क्षमता या विद्युत विक्रय से प्राप्त वास्तविक राजस्व, अथवा विद्युत व्यापार का कुल क्रय विक्रय जैसा भी हो, और अनुमोदिन/आंकलन से वास्तविक पारेषण क्षमता अनुबंधों या वास्तविक राजस्व या कुल क्रय विक्रय (जैसा भी हो) के आधार पर निकाले गये राजस्व में यदि कोई अंतर आता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क में आधिक्य या कमी का समायोजन बाद के वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में किया जायेगा।	
6	अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन (i) जो क्रय, अधिग्रहण द्वारा या अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम (यूटीलिटी) को अर्जित करने की कार्यवाही के धारा 17 (1) (ए) के अधीन दायित्व लेने या छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम में धारा 17 (1) (बी) के अधीन अपने उपक्रम के विलय संबंधी हो, (ii) जो धारा 17 (3) के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति या उपक्रम या उसका कोई भाग, विक्रय, पट्टे या किसी अन्य तरीके से विनिमय द्वारा या अन्यथा किसी अन्य तरीके से किसी अन्य को सौंपने से संबंधित हो	रू. 5,00,000 रू. 5,00,000
7	अधिनियम की धारा 18 के तहत अनुज्ञप्ति के संशोधन का आवेदन – (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (बी) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अनुज्ञप्तिधारी न हो	(ए) रू.1,00,000 (बी) रू. 10,000
8	अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत प्रतिसंहरण हेतु आवेदन (ए) संपूर्ण क्षेत्र हेतु (बी) क्षेत्र के किसी भाग हेतु	(ए) रू. 1,00,000 (बी) रू. 50,000
9	धारा 33 (4) के अधीन आवेदन पत्र, यदि विवाद निराकरण हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजा जावे –	रू. 10,000
10	धारा 33 (5) के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति पर शारित अभिरोपित करने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र	रू. 5,000
11.	(ए) अधिनियम की धारा 35 के तहत बीच में पड़ रही पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु आवेदन (बी) अधिनियम की धारा 35 के उपबंध के तहत उपलब्ध अतिशेष क्षमता की मात्रा के बारे में विवाद पर अधिनिर्णय	(ए) रू. 20,000 (बी) रू. 1,00,000
12	अधिनियम की धारा 39 एवं 40 के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त उपयोग में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णयन – (ए) जब नीचे (बी) में समाहित को छोड़कर किसी अन्य उत्पादन कंपनी द्वारा विवाद सौंपा जावे (बी) जब कैप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा केप्टिव खपत हेतु और/या नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्र या सहउत्पादन संयंत्र द्वारा सौपा जावे (सी) जब उपभोक्ता द्वारा सौपा जावे	(ए) रू. 1,00,000 (बी) रू. 25,000 (सी) रू. 25,000
13	अधिनियम की धारा 42 (2), (3) एवं (4) और उसके अंतर्गत	

	विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त उपयोग में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय – (ए) जब अनुज्ञप्तिधारी या नीचे (बी) में समाहित कंपनी को छोड़कर किसी अन्य उत्पादन कंपनी द्वारा विवाद सौपा जावे (बी) जब केप्टिव उत्पादन संयंत्र जो सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण व्यवस्था से जुड़ी है द्वारा केप्टिव खपत हेतु या नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र द्वारा सौंपा जावे (सी) जब उपभोक्ता द्वारा सौंपा जावे	(ए) रू. 1,00,000 (बी)रू. 25,000 (सी)रू. 25,000
14	अधिनियम की धारा 45 एवं 46 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन का आवेदन	रू. 2,00,000
15	(ए)उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत देने के लिए धारा 62(1) (ए) के अनुसार टैरिफ निर्धारण हेतु शुल्क (i) पारम्परिक ईंधन (कोयला, तेल, इत्यादि) के संयंत्र (ii) नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन कंपनी सह– उत्पादन सहित	(i) 100 मेगावाट की क्षमता के संयंत्रों तक रू. 5,00,000 एवं प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू.1000 प्रति मेगावाट (ii) प्रथम 10 मेगावाट तक रू. 1,00,000 एवं प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू.1000 प्रति मेगावाट
	(बी) धारा 62 (1) (बी) के अनुसार वार्षिक/आधार वर्ष का विद्युत पारेषण के टैरिफ निर्धारण के लिए शुल्क	(बी) (i) राज्य पारेषण उपक्रम (एस.टी.यू.) के लिए रू. 10,00,000 (ii) अन्य पारेषण अनज्ञप्तिधारी हेतु रू. 2,00,000
	(सी) धारा 62(1)(डी) के अनुसार विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु वार्षिक/आधार वर्ष के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण पर शुल्क	(सी) (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए रू. 10,00,000 (ii) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए रू. 2,00,000
	(डी) समन्वित इकाई (utility) के लिए टैरिफ निर्धारण पर शुल्क **नोटः** टैरिफ अवधारण हेतु उपरोक्त शुल्क अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन देने पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से निर्धारण पर लिया जावेगा।	(डी) रू. 25,00,000
16.	कार्य संचालन विनियमों में यथा प्रावधित निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन	प्रत्येक पांच करोड़ रूपये अथवा उसके किसी भाग के निवेश हेतु रू. 1,000
17.	अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी की व्यापार योजना का अनुमोदन	रू. 20,000

18.	बोली लगाने की प्रक्रिया के अनुमोदन (बोली लगाने की मानक प्रक्रिया से विचलन की दशा में) हेतु अधिनियम की धारा 63 के अधीन आवेदनः— (ए) पारंपरिक ईधन (कोयला, तेल इत्यादि) पर आधारित संयंत्र/लघु जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य जल विद्युत संयंत्र (बी) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर आधारित संयंत्र, जिसमें लघु जल विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है	(ए) न्यूनतम रू. 25,000 तथा अधिकतम रू. 5,00,000/— के अध्यधीन रू. 1000 प्रति मेगावाट (बी) उपरोक्त का 50 रू.%
19.	अधिनियम की धारा 67 की उप धारा 4 तथा 5 के अधीन उत्पन्न विवाद (पथ, रेलमार्ग आदि की मिट्टी और फर्श आदि खोलना, हटाना) के निपटारे हेतु आवेदन	रू. 25,000
20	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय या विद्युत की प्राप्ति की कार्यवाही या कीमत का अनुमोदन तथा विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन के लिए धारा 86 (1) (बी) के अधीन याचिका/आवेदन हेतु शुल्क (ए) पारंपरिक ईधन (कोयला, तेल इत्यादि) पर आधारित संयंत्र/लघु जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य जल विद्युत संयंत्र (बी) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर आधारित संयंत्र, जिसमें लघु जल विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है (सी) केवल विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन हेतु	(ए) रू. 5,000 प्रति मेगावाट (कम से कम रू.50,000 एवं अधिकतम रू. 10,00,000 के अध्यधीन) (बी) उपरोक्त के 50 प्रतिशत राशि (सी) रू. 10,000
21.	अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) में वर्णित किसी भी विवाद के अधिनिर्णय, अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादन कम्पनी के बीच एवं आपस में अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विवाद का निपटारा (i) यदि विवाद में कोई ऐसे दावा शामिल हो जिसे धन के रूप में दर्शाया जा सकता हो और वह आयोग द्वारा अधिनिर्णित किया जावे। (ii) ऐसे अन्य सभी मामलों में जिसमें कोई वित्तीय दावा विवाद में न हो (iii) यदि विवाद किसी मध्यस्थ को संदर्भित किया जावे	(i) देय शुल्क शामिल धन का दो प्रतिशत अधिकतम रू. 10,00,000/— और न्यूनतम रू. 50,000/— के अध्यधीन (ii) रू. 25,000/— (iii) मध्यस्थ को देय शुल्क के अतिरिक्त रू. 25,000/—
22	परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार के लिए आवेदन शुल्क	रू. 50,000
23	आयोग के टैरिफ निर्धारण आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन (i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (ii) किसी संस्था/संगठन/कम्पनी के द्वारा (iii) उपरोक्त (ii) से भिन्न अन्य व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा	(i) टैरिफ निर्धारण के मूल आवेदन के समय भुगतान किये गये शुल्क का 10 प्रतिशत। (ii) रू. 25,000 (iii) रू. 10,000
24	मुख्य विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरूद्ध अपील धारा 162 (2) के अंतर्गत	रू.25,000

25	धारा 142 के अधीन आवेदन पत्र (i) यदि आवेदन, किसी उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी या किसी संस्था, कंपनी (कृत्रिम व्यक्ति) द्वारा दिया जावे (ii) किसी व्यक्ति द्वारा दिया जावे (iii) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम या विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन न किये जाने के मामले में	रू. 1,000 / – रू. 500 / – कोई शुल्क नहीं
26	ऊर्जा संरक्षण संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 27 के अधीन याचिका (i) यदि आवेदन, किसी उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी या किसी संस्था, कंपनी (कृत्रिम व्यक्ति) द्वारा दिया जावे (ii) किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने कोई शुल्क (iii) समुचित सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए आवेदन दिया जावे	रू. 1,000 / – रू. 500 / – कोई शुल्क नहीं
27	आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन का आवेदन, जो इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लेखित नहीं है	रू. 10,000
28	विविध आवेदन अर्थात ऐसे आवेदन जिसका अनुसूची में अन्यत्र उल्लेख न हो – (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन (बी) व्यैक्तिक उपभोक्ता द्वारा आवेदन (सी) व्यैक्तिक एवं अन्य का आवेदन	(ए) रू.10,000 (बी) रू.5,000 (सी) रू.1,000

अनुसूची–2
विविध आवेदनों के लिए शुल्क एवं प्रभार

क्र.	वर्णन	शुल्क / प्रभार
1.	किसी विषय में हस्तक्षेप करने हेतु आवेदन पत्र (ए) किसी उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी या व्यापारी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	 रू. 1,000/– रू. 500/–
2	किसी व्यक्ति को याचिका में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने हेतु आवेदन	रू. 500/–
3	(i) एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने या एक पक्षीय कार्यवाहियों को निरस्त करने (ii) किसी चूक के कारण खारिज हुए प्रकरण के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन	रू. 1,000/–
4	याचिका में संशोधन हेतु आवेदन	याचिका के साथ पूर्व में प्रस्तुत शुल्क का 10 % न्यूनतम प्रभार 1,000/– रू के अध्यधीन रहते हुए
5	याचिका की प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	 रू. 1,000/– रू. 500/–
6.	किसी कार्यवाही या आदेश का निष्पादन किसी प्रकरण विषय या अपील के लंबित रहने की अवधि तक स्थगित करने हेतु आवेदन (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	 रू. 1,000/– रू. 500/–
7	अंतर्वती प्रकृति का कोई अन्य आवेदन, जो ऊपर दी गई श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	 रू. 1,000/– रू. 500/–
8	दस्तावेज/प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन	रू. 10/– प्रति आवेदन
9	आयोग के आदेश/दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	रू. 2/– प्रति पेज

Raipur, the 15th July 2009

No. 29/CSERC/2009.— In exercise of the powers conferred on it by clause (g) of Sub-Section (1) of Section 86 read with Section 181(1) of the Electricity Act 2003, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission had notified on 16.02.2005 the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges) Regulations, 2004 (No. 5 of 2004). On the basis of experience, comments received from the stakeholders as also for enforcement of the Right to Information Act, 2005, there is a need to revise these regulations to ensure levy of reasonable fees and charges. Therefore the Commission in exercise of the aforementioned powers makes the following new regulations for levy of fees and charges. These regulations shall supercede the earlier regulations on the subject notified on 16.02.2005.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FEES AND CHARGES) REGULATIONS, 2009

1. Short Title, commencement and extent

(1) These regulations may be called the "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges) Regulations, 2009"

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

(3) The regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh

(4) The regulations shall apply to all matters on which the Commission has jurisdiction under the Electricity Act, 2003, including all applications and petitions filed before the Commission.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

(1) **"The Act"** means the Electricity Act, 2003(36 of 2003), as amended from time to time.

(2) **"Commission"** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

(3) **"Fees and Charges"** means fees and charges mentioned in schedules 1 and 2.

(2) Words or expressions used herein and not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and/or the CSERC (Conduct of Business) Regulations.

3. Fees on petition / application

(1) Every petition / application made to the Commission shall be accompanied by such fees or charges as specified in Schedule 1 and 2 to these regulations.

(2) The fees or charges payable under these regulations shall be paid by means of bank draft/bankers cheque or pay order or account payee cheque, drawn in favour of the 'Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission', payable at Raipur or may be paid in cash in case the amount does not exceed rupees five thousand or by any other mode prescribed by any other

rules made by the state Government of Chhattisgarh which are applicable to the Commission.

(3) The fees or charges paid and the mode of payment, should be mentioned in the petition or application as the case may be, stating the section of Act and/or the regulation under which payment has been made.

(4) The Commission either suo motu or on an objection, raised at any stage of the proceedings, by any party to a case, may consider the issue regarding sufficiency of the fees deposited and pass appropriate orders.

4. The Commission if considers appropriate, may give time for payment of fees prescribed in schedule-1 on a request made in writing for this purpose, by any party.

5. **Power to refund fee collected**

The Commission in any particular case, may decide that the fees submitted by any party be refunded in full or in part in case of withdrawal of the petition.

6. **Fee for services of an expert or consultant**

If in any proceedings the Commission directs that the services of an expert or consultant is required in the interest of just disposal of the matter under consideration, the Commission may order for recovery of the cost of such services from the party / parties to the proceedings.

7. **Procedure for recovery of penalty**

(1) Any penalty ordered by the Commission under Section 142 and Section 146 of the Act or by the adjudicating officer under Section 143 of the Act, or section 27 of the Energy Conservation Act 2001 shall be paid within thirty (30) days of the order of the Commission or the adjudicating officer, or within such extended time as may be allowed by the Commission or such adjudicating officer, as the case may be.

(2) The penalty shall be payable and the amount shall be deposited in the same manner as provided under Regulation 3(2) of these regulations.

(3) If the penalty is not be paid within the stipulated time, the Commission shall proceed according to the provision of section 170 of the Act.

8. **Fees payable on the grant of license**

(1) Fees as per schedule 1 of these regulations shall be payable upon the grant of any new licence under Section 14 of the Act.

(2) All annual fees payable by licensee shall be paid by 30th April every year.

(3) In case of late payment of annual fee, interest will be payable on the delayed amount at the rate of 1% per month.

(4) The Commission may, on being satisfied that there was sufficient ground for such delay may waive the interest.

9. Inclusion in tariff

The licensee shall be entitled to take into account any fee or charge paid by it under these regulations as an expense in the determination of tariff.

Provided that any penalty paid under the provisions of the Act and interest paid as per regulations 8(3) above, shall not be allowed as an expense.

10. Power to amend

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these regulations.

11. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, pass general or specific orders, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,

N. K. RUPWANI, Secretary.

SCHEDULE 1

FEES AND CHARGES FOR APPLICATION/PETITION UNDER THE ACT / REGULATIONS

S. No	Description	Fees/Charges
1	Adjudication of dispute regarding availability of transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 under the Act, to be paid by the person who has referred such dispute to the Commission.	Rs. 10,000/- for the first one MW of transmission capacity sought and Rs. 2,000/- per MW thereafter, subject to a maximum of Rs. 1,00,000/-
2	Annual fee for the licensee/deemed licensee who has taken exemption from licence under Section 13 of the Act.	Rs. 5,000/-
3	Application fee for grant of license under section 14 of the Act.	As prescribed by the State Government.
4.	Licence fee on the grant of licence, under Section 14 of the Act -	
	(a) to transmit electricity as a transmission licensee;	(a) Rs. 2,00,000
	(b) to distribute electricity as a distribution licensee; and	(b) Rs. 5,00,000
	(C) to undertake trading as an electricity trader	(C) Rs. 5,00,000
5.	Annual licence fees (to be effective from the year 2010-11) for:	
	(a) Transmission licence	(a) Rs. 1,000 per MW of transmission capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to a minimum of Rs. 1,00,000 and maximum of Rs. 10,00,000
	(b) Distribution licence	(b) 0.04 per cent of the revenue from the sale of electricity during the financial year.
	(c) Trading licence **Note:** (i) The annual licence fee shall be payable in advance, at the commencement of the financial year.	(c) 0.04 per cent of the revenues from the sale of electricity.

	(ii) In case of a transmission licence, the annual licence fee shall be calculated based on the approved / estimated aggregate quantum of transmission capacity contracts for the ensuing financial year. (iii) In the case of a distribution licence, the annual licence fee shall be calculated based on the approved/estimated revenue from the sale of electricity as part of the distribution business for the ensuing financial year. (iv) In the case of a trading license the annual license fee should be calculated based on estimated revenue (turnover) to be received. (v) Where the actual transmission capacity contracted or actual revenue from the sale of electricity and actual trading turnover, as the case may be, differs from the approved / estimated level used for the purpose of these regulations, the excess or shortfall in licence fee already deposited, calculated based on the actual transmission capacity contracts or actual revenue, as the case may be, shall be adjusted against the annual licence fee for the following year or recovered in the following year, as the case may be.	
6.	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act	
	(i) to undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other licensee under section 17(1)(a) or merge his utility with the other utility of any other licensee in the State of Chhattisgarh under section 17(1)(b)	Rs. 5,00,000/-
	(ii) to assign his license or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise at any time under section 17(3)	Rs. 5,00,000/-
7.	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act	
	(a) by licensee	(a) Rs. 1,00,000/-
	(b) by any person other than a licensee	(b) Rs. 10,000/-

8.	Application for revocation of licence under sub-section (2) of Section 19 of the Act	
	(a) for whole area	(a) Rs. 1,00,000/-
	(b) for part of the area	(b) Rs. 50,000/-
9.	Application under section 33(4) if the dispute is referred by SLDC, any licensee or generating company or any other person	Rs. 10,000/-
10.	Application to impose penalty under section 33(5) upon any licensee, generating company or any other person filed by SLDC or any person.	Rs. 5,000/-
11.	(a)Application under Section 35 of the Act for seeking the use of intervening transmission facilities	(a) Rs. 20,000/-
	(b)Adjudication of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Act	(b) Rs. 1,00,000/-
12.	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sections 39 and 40 of the Act.	
	(a) referred by a licensee or by a generating company, other than those covered under (b).	(a) Rs. 1,00,000/-
	(b) referred by a captive generating plant relating to captive consumption, and / or generating company based on renewable source of energy or cogeneration.	(b) Rs. 25,000/-
	(c) referred by a consumer	(c) Rs. 25,000/-
13.	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (2) and (3) of Section 42 of the Act and regulations specified thereunder:	
	(a) referred by a licensee or by a generating company, other than those covered under (b).	(a) Rs. 1,00,000/-
	(b) referred by captive generating plant for captive consumption, directly connected to the distribution system of a distribution licensee or a generating company based on renewable energy or cogeneration	(b) Rs. 25,000/-
	(c) referred by consumer	(c) Rs. 25,000/-

14	Application for approval of the schedule of charges of a distribution licensee under Section 45 and Section 46 of the Act.	Rs. 2,00,000/-
15.	(a) Determination of tariff under the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62, for supply of electricity by a generating company to a distribution licensee	
	(i) Conventional fuel based (coal, oil etc) plant / hydel plants	(i) Rs. 5,00,000/- for capacity upto 100 MW. Rs. 1,000/- for every additional MW capacity or part thereof
	(ii) generating company based on renewable sources of energy, including co-generation	(ii) Rs. 1,00,000/- upto 10 MW Rs.1,000 for every additional MW or part thereof capacity.
	(b) Determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 62.	(i) for STU – Rs. 5,00,000/- (ii) Other transmission licensee – Rs. 2,00,000/-
	(c) Determination of tariff for retail sale of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62.	(i) for CSPDCL – Rs. 10,00,000/- (ii) for other distribution licensees – Rs. 2,00,000/-
	(d) Determination of tariff for integrated utility. **Note:** Fees for determination of tariff as above are payable whether such determination is upon application by the licensee or by any other person or suo motu determination by the Commission.	(d) Rs. 25,00,000/-
16.	Application by licensee / generating company for investment approval.	For every five crore of investment or part thereof Rs. 1,000/-
17.	Approval of Business Plan of licensee / generating companies	Rs. 20,000/-
18.	Petition for approval of bidding process (deviation from standard bidding process) and adoption of tariff determination under section 63 of the Act:-	
	(a) Conventional fuel based (coal, oil etc.) plant / hydel plant except small hydel plant (SHP).	Rs. 1000 per MW subject to minimum of Rs. 25,000/- and maximum of Rs. 5,00,000/-
	(b) Renewable energy based plant including SHP	50% of the above.

19.	Disputes arising under Sub-section (4) & (5) of Section 67 of the Act (opening up of streets, railways etc.)	Rs. 25,000/-
20.	Petition under section 86(1)(b) for approval of purchase and procurement of power by distribution licensee other than from State Generating Company, and finalization of power purchase agreement, both long-term and short-term.	
	(a) Conventional fuel based (coal, oil etc.) plant / hydel plant except SHP	(a) Rs. 5,000/- per MW subject to a minimum Rs. 50,000/- and maximum of Rs. 10,00,000/-
	(b) Renewable energy based plant including SHP.	(b) 50% of the above
	(c) Approval of power purchase agreement only.	(c) Rs. 10,000/-
21.	Adjudication under clause (f) of sub-section (1) of section 86 of Act of disputes between licensees and generating companies and between licensees themselves;	
	(i) If the dispute involves any claim in terms of money and is adjudicated upon by the Commission	The fee shall be 2% of the amount involved subject to a maximum of Rs. 10,00000/- and minimum of Rs. 50,000/-
	(ii) In all other cases which does not involve any financial claim of dispute.	Rs. 25,000/-
	(iii) If the dispute is referred to an arbitrator	The fees shall be Rs. 25,000/- in addition to fees payable to the arbitrator.
22.	Application for determination of variable cost adjustment (VCA) charges.	Rs.50,000/-
23.	Application for review of tariff order of the Commission.	
	(i) by licensee	(i) 10 per cent of the fees paid at the time of the original application for determination of tariff
	(ii) by an institution / association / company.	(ii) Rs. 25,000/-
	(iii) by an individual consumer other than at (ii) above.	(iii) Rs. 10,000/-
24.	Appeal against the decision of Chief Electrical Inspector under section 162(2)	Rs. 25,000/-

25.	Application under section 142 of the Electricity Act	
	(i) application made by any generating company or licensee or any person other than an individual	Rs. 1,000/- (Rupees one thousand)
	(ii) any individual	Rs. 500/- (Rupees five hundred)
	(iii) Cases of non-compliance of orders of Consumers Grievances Redressal Forum or the Ombudsman.	No fee shall be charged
26.	Petition under section 27 of the Energy Conservation Act 2001	
	(i) application made by any generating company or licensee or any person other than an individual	Rs. 1,000/- (Rupees one thousand)
	(ii) any individual	Rs. 500/- (Rupees five hundred)
	(iii) application made by the appropriate Govt. or its officer in his official capacity.	No fee shall be charged
27.	Application for review of orders of Commission not covered elsewhere in this schedule	Rs. 10,000/-
28.	Miscellaneous petition i.e. petition not covered elsewhere in this schedule	
	(a) Petition by licensees / generating company	(a) Rs. 10,000/-
	(b) by consumers other than individuals	(b) Rs. 5,000/-
	(c) by individual consumers and others	(c) Rs. 1000/-

SCHEDULE 2

FEES AND CHARGES FOR MISCELLENEOUS APPLICATIONS

S.N.	Description	Fees and charges
1	Application to intervene in any matter a) by any generator or licensee or trader b) any other person	 Rs. 1000/- (Rupees One thousand) Rs. 500/- (Rupees Five Hundred)
2	Application to implead any person as party in the petition	Rs. 500/- (Rupees Five Hundred)
3.	Application (i) to set aside ex-parte order or to drop ex-parte proceedings (ii) to restore any case which was dismissed in default	Rs. 1000/-
4.	Application for amendment in petition.	10% of the fees submitted earlier with the petition, subject to a minimum of Rs. 1000/-.
5.	Condonation of delay in filling of a petition a) by a licensee or generating company b) by any other person	 Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) Rs. 500/- (Rupees Five Hundreds)
6.	Application to stay any proceeding or execution of any order, till pendency of any particular case or appeal:- a) by a licensee or generating company b) by any other person	 Rs. 1000/- (Rupees One thousand) Rs. 500/- (Rupees Five Hundreds)
7.	Any other application of interlocutory nature but not covered in the category described above:- a) by a licensee or generating company b) by any other person	 Rs. 1000/- (Rupees One thousand) Rs. 500/- (Rupees Five Hundreds)
8	Application for obtaining copies of document /order	Rs. 10/- per application
9	Supply of copies of documents/order of the Commission	Rs. 2 per page.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.